न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 213 / 2016

सुखादेवी पत्नी दित्तु जाति चौधरी निवासी चक 16 पी तहसील अनूपगढ हाल आबाद हिमाचल प्रदेश जरिये मुखत्यारेआम मनीराम पुत्र सुरजाराम निवासी 16 पी तहसी अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

1. हंसराज पुत्र खोजूराम जाति धीर्थ निवासी नगरोटू तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ । —रेस्पोडेन्ट्स

(2) अपील संख्या 227 / 16

सुखादेवी पत्नी दित्तु जाति चौधरी निवासी चक 16 पी तहसील अनूपगढ हाल आबाद हिमाचल प्रदेश जरिये मुखत्यारेआम मनीराम पुत्र सुरजाराम निवासी 16 पी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ —रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 28.09.2015 व 30.05.2016

उपस्थितिः–

श्री एम एल अरोड़ा, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.04.2018

अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 227 / 16 उपखंड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी / अपीलांट द्वारा भू.रा.अ. की धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपील संख्या 213 / 2016 उपखंड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक

24/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

28.09.2015 के विरूद्ध पेश की है। आदेश दिनांक 28.09.2015 को रेस्पो. संख्या 1 को बतौर पौंग बांध विस्थापित चक 16 पी, 17 , 18 एच व 19 एच की कुल 6.185 है0 भूमि आवंटित की गई है। उक्त भूमि में से अपीलार्थी ने चक 16 पी के मु0न0 78/38 के कि.नं. 6, 7, 16, 25 की 3.13 बीघा भूमि की सीमा तक चुनौती दी है। दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि एक होने से एवं उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अन्य भूमि के साथ दिनांक 23.06.1973 को आवंटित की गई थी जिसकी किश्तों की राशि जमा करवा कर कब्जा प्राप्त कर लिया। किश्तों की राशि जमा नहीं कराने से आवंटन दिनांक 20.11.1976 को खारिज कर दिया जो नियम 8ए का प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 30.12.1983 को बहाल कर दिया गया। राजस्व विभाग को रिकार्ड देते समय से सहवन से मु.न. 78/38 का कि.न. 6, 7, 16, 25 की 3.13 बीघा का अंकन रह गया था जिसका अंकन कराने के लिए अपीलार्थी ने अधी.न्यायालय में 136 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया एवं अपीलाधीन आदेश के द्वारा उक्त भूमि का आवंटन रेस्पो. संख्या 1 को कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है, अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

23/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रकबा राज होने पर रेस्पो संख्या 1 को आवंटित कर दी गई जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलें खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील संख्या 213/2016 में अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

दोनों ही अपीलो में अपीलार्थी ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश करके नहीं करने से अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीले अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील संख्या 213/2016 सुखादेवी बनाम हंसराज में अपीलाधीन आदेश उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ का आदेश दिनांक 28.09.2015 तथा अपील संख्या 227/16 सुखादेवी बनाम सरकार अपीलाधीन आदेश उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ का आदेश दिनांक 30.05.2016 एक दूसरे के पूरक होने से निर्णय एक साथ किया जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2015 में अपीलांट की आवंटन शुदा कृषि भूमि आवंटन निरस्त हुए बिना रेस्पो. को आवंटित कर दी। अतः रेस्पो. का आवंटन अपास्त करने का अनुतोष चाहा तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 द्वारा अपीलार्थी को आवंटित कृषि भूमि का रेकार्ड में अमल दरामद न करने का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कब्जा देने का प्रमाण संदर्भित दस्तावेज है जिहसकी इबारत है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुखादेवी पत्नी दित्तु को आवंटन अधिकारी सहायक उपनिवेशन आयुक्त श्रीविजयनगर के आदेश संख्या 22 दिनांक 30.12.83 को निम्न वितरण की भूमि का आवंटन किया गया है जिसका कब्जा

28/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आवंटितती स्वयं रूबरू मौतबिरान दिनांक 03.03.84 को दिया जा चुका है जिसकी पुष्टि में आवंटियों व मौतबिरान के हस्ताक्षर कब्जा प्राप्त करने के प्राप्त किये गये हैं। इस कब्जा रिपोर्ट के पश्चात मु.न. 78/46 को रेकार्ड में अमल होना तथा मु.न. 78/38 का रेकार्ड में अमल न होने का कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः मु.न. 78/38 के कि.नं. 6, 7, 16, 25 की 3.13 बीघा का आवंटन किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया है तो अपीलांट के नाम अमल योग्य है। जिसका स्वाभाविक परिणाम आवंटन आदेश दिनांक 28.09.2015 में चक 16 पी के मु.न. 78/38 के कि.न. 6, 7, 16, 25 की 3.13 बीघा भूमि की सीमा तक खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन अनुसार दोनों ही अपीले स्वीकार की जाती है एवं उपरोक्तानुसार अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर